

the customs and usages prevalent among bankers, information relating to the individual constituents of the banks cannot be disclosed.

Revenue from opium plantation

175. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

* What is the amount of revenue Government earn from opium cultivation in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): The cultivation of opium in India is mainly export-oriented. Some quantity of opium is also consumed within the country, mostly for the production of opium alkaloids in the Government factories. The earnings of the Government Opium and Alkaloid Works (at Ghazipur and Neemuch) by way of sales, including exports, during the years 1981-82 to 1983-84 were as follows:—

(Rs. in crores)

	Opium Factories..	Alkaloid Works.
1981-82	21.78	3.63
1982-83	27.84	4.37
1983-84	22.78	4.46
(Provisional).		

क्रमांक प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा व्यापारिक घरानों को करों में दी गई छूट

176. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त से दिसम्बर, 1984 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विभिन्न मदों के अन्तर्गत कई व्यापारिक घरानों को करों में छूट दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यापारिक घरानों के नाम और पते क्या हैं और उनको दी गई छूट में अन्तर्निहित धनराशि का ब्यूरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पूजारी) : (क) कोई भी करनिधारिती आयकर अधिनियम, 1961 में निहित उपबन्धों के अनुसार उपलब्ध छूट, कटौतियां पाने का हकदार है बशर्ते कि उनमें अपेक्षित शर्तें पूरी होती हों। आयकर अधिनियम के उपबन्धों की समीक्षा सतत होती रहती है और ऐसे संशोधनों को संगत वित्त वर्ष के वित्त अधिनियम तथा संसद द्वारा अधिनियमित किसी अन्य संशोधनकारी अधिनियम में परिलक्षित किया जाता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अगस्त से दिसम्बर, 1984 की अवधि में किन्हीं व्यापार घरानों को विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत उपलब्ध कर रियायतें अपने आप नहीं दी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तस्करों की रिहाई

177. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1984 के नवम्बर और दिसम्बर माह के दौरान कई तस्करों को रिहा कर दिया गया था और उन पर चल रहे आर्थिक अपराधों के मुकदमे वापस ले लिए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो उन सभी तस्करों के नाम और पते क्या हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि उनमें से कई के विरुद्ध विदेशी मुद्रा में हेरा-फेरी करने के भी आरोप चल रहे थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पूजारी) : (क) सम्भवतया माननीय सदस्य का आशय, विदेशी मद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम,

1974 के उपबन्धों के तहत नजरबंद किए गए तस्करों/विदेशी मद्रा की जालसाजी करते वाले व्यक्तियों की रिहाई से है। जिन व्यक्तियों को विदेशी मद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत नजरबंद किया जाता है, उन्हें या तो उनकी नजरबन्दी की अवधि की समाप्ति पर रिहा किया जाता है अथवा सलाहकार बोर्डों की सलाह पर अथवा प्रतिसंहरण अदालत के आदेशों पर 1 नवम्बर